रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23072024-255675
CG-DL-E-23072024-255675

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 404] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 23, 2024/श्रावण 1, 1946
No. 404] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 23, 2024/SHRAVANA 1, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2024

सं. 51/2024-सीमा शुल्क(एन.टी.)

सा.का.नि. 443(अ)- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9 की उपधारा (7) और धारा 9ख की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमाशुल्क टैरिफ (सहायिकी वस्तु की पहचान, उस पर प्रतिशुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ – (1) इन नियमों को सीमाशुल्क टैरिफ (सहायताप्राप्त वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिशुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति अवधारण) संशोधन नियम, 2024 कहा जाएगा ।

(2) ये नियम 24 जुलाई, 2024 को प्रवृत्त होंगे ।

2. सीमाशुल्क टैरिफ (सहायिकी वस्तु की पहचान, उस पर प्रतिशुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 में नियम 23 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा :-

"**23क. मूल रूप से अन्वेषित नहीं किए गए निर्यातकों के लिए सहायकी अंतर –** (1) यदि कोई उत्पाद प्रतिशुल्क के अध्यधीन है, अभिहीत प्राधिकारी प्रश्नगत निर्यातक देश में जिसने अन्वेषण की अवधि के दौरान भारत में उत्पाद का निर्यात नहीं किया है, किसी निर्यातकर्ता या उत्पादक के लिए व्यष्टि सहायकी अंतर के अवधारण के प्रयोजन के लिए आवधिक रूप से पुनर्विलोकन करेगा परन्तु ये निर्यातकर्ता या उत्पादक यह दर्शित करते हों कि वे ऐसे निर्यातकर्ता देश, जो उस उत्पाद पर प्रति शुल्क के अध्यधीन हो, से किसी निर्यातकर्ता या उत्पादक से संबंधित नहीं हैं।

(2) केन्द्रीय सरकार, उप-नियम (1) में यथानिर्दिष्ट पुनर्विलोकन की अवधि के दौरान ऐसे निर्यातकर्ताओं या उत्पादकों से आयातों पर अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन प्रति शुल्क उदग्रहित नहीं करेगी :

परन्तु यह कि केन्द्रीय सरकार अनन्तिम निर्धारण का पुनःसमाधान कर सकेगी और किसी आयातकर्ता से गांरटी मांग सकेगी, यदि अभिहीत प्राधिकारी इस प्रकार सिफारिश करे, और यदि ऐसे पुनर्विलोकन का परिणाम ऐसे उत्पादकों या निर्यातकर्ताओं के संबंध में सहायिकी का अवधारण हो, पुनर्विलोकन के आरम्भ की तारीख से भूतलक्षी रूप से ऐसे मामले में शुल्क उदग्रहण कर सकेगी।

(3) को-आपरेटिव गैर नमूने वाले निर्यातकर्ताओं या उत्पादकों के लिए पहले ही अधिरोपित प्रति शुल्क का विस्तार ऐसे निर्यातकर्ताओं या उत्पादकों के लिए किया जा सकता है जो मूल रूप से अन्वेषित नहीं किए गए थे।"।

[फा. सं.334/03/2024-टीआरयू]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. सं. 2(अ) तारीख 1 जनवरी, 1995 द्वारा अधिसूचना सं.1/1995-सीमाशुल्क (एन.टी.), तारीख 1 जनवरी, 1995 के अनुसार प्रकाशित की गई थी और सा.का.नि. सं. 760(अ), तारीख 27 अक्तूबर, 2021 द्वारा अधिसूचना संख्यांक 83/2021-सीमाशुल्क (एन.टी.), तारीख 27 अक्तूबर, 2021 के अनुसार अंतिम बार संशोधित की गई।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 2024

No. 51/2024-Customs (N.T.)

G.S.R. 443(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 9 and sub-section (2) of section 9B of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, namely :-

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Amendment Rules, 2024.

(2) These rules shall come into force on the 24th day of July, 2024.

2. In the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, after rule 23, the following rule shall be inserted, namely:-

"**23A. Subsidy margin for exporters not originally investigated.-** (1) If a product is subject to

countervailing duties, the designated authority shall carry out a periodical review for the purpose of determining individual subsidy margins for any exporters or producers in the exporting country in question who have not exported the product to India during the period of investigation, provided that these exporters or producers show that they are not related to any of the exporters or producers in the exporting country who are subject to the countervailing duties on the product.

(2) The Central Government shall not levy countervailing duties under sub-section (1) of section 9 of the Act on imports from such exporters or producers during the period of review as referred to in sub-rule (1):

Provided that the Central Government may resort to provisional assessment and may ask a guarantee from the importer, if the designated authority so recommends, and if such a review results in a determination of subsidy in respect of such products or exporters, it may levy duty in such cases retrospectively from the date of the initiation of the review.

(3) The countervailing duty already imposed for co-operative un-sampled exporters or producers may also be extended to such exporters or producers who were not originally investigated.".

[F. No.334/03/2024-TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), notification number 1/1995-Customs (N.T.), dated the 1st January, 1995, *vide* number G.S.R. 2(E), dated the 1st January,1995 and were last amended by notification number 83/2021-Customs (N.T.), dated the 27th October, 2021, *vide* number G.S.R. 760(E), dated the 27th October, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2024.07.23 22:00:29 +05'30'